

the same on payment of the prescribed charges for the same.
 Sd/-
 Dated: 15th June, 2018
 Manoj Kumar Garg
 Advocate for the Petitioners
 Garg & Associates
 E-205 (LGF), Greater Kailash, Part-II, New Delhi-110 048

Lokti Road, New Delhi, 110003. Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Bench and to Petitioner's Advocate's notice of his intention signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the Bench and the Petitioner's Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the Petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the Petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Rajan Khan
 Advocate for the Petitioner Company
 LG-20, ANSAL PLAZA, SECTOR
 VAISHNAVI, DELHI/NCR, GHAZIABAD, UP-201019
 MB: 9811797546, LL: 0120 4981234
 E-Mail: advrklawoffice@gmail.com

KRBL Limited
 CIN: L01111DL1993PLC052845
 Regd. Off.: 5190, Lahori Gate, Delhi - 110006
 Phone: 011-23968328, Fax: 011-23968327
 Email: investor@krblindia.com, Website: www.krblrice.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

SUB: (I) REMINDER TO CLAIM THE DIVIDENDS REMAINING UNPAID/UNCLAIMED AND TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE IEPF

(II) MANDATORY UPDATION OF PAN AND BANK DETAILS AGAINST YOUR HOLDING(S)

Shareholders are hereby informed that pursuant to the provision of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (IEPF Rules) and subsequent amendment thereto, the dividend declared during the financial year 2010-11, which remained unclaimed for a period of seven years will be credited to the IEPF on November 3, 2018. The corresponding shares on which dividend was unclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedures set out in the rules.

The Company will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996.

In compliance to the IEPF Rules, the company has communicated individually to the concerned shareholders and details of such shares liable to be transferred to IEPF are also available on our website. Shareholders concerned may refer to the web-link <http://www.krblrice.com/investorrelation.html> to verify the details of their shares liable to be transferred to IEPF authority.

Shareholders are requested to claim the final dividend declared for the financial year 2010-11 and onwards before the same is transferred to the IEPF.

Concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will automatically stand cancelled and be deemed non-negotiable.

Concerned shareholders holding shares in dematerialized form may note that the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares in favour of the Demat account of the IEPF. Shareholders may note that both unclaimed dividend and shares once transferred to IEPF authority can be claimed from the IEPF authority after following the procedures prescribed under the IEPF Rules (refer the IEPF website <http://www.iepf.gov.in>). and no claim shall lie against the company.

In case the Company does not receive any communications from the concerned shareholders on or before September 30, 2018 the Company shall proceed to credit those shares/dividend with the IEPF authority. Kindly note that all future benefits, dividends arising on such shares would also be transferred to IEPF authority.

For any queries on the subject matter, you may e-mail us at investor@krblindia.com or contact the Company's Registrar and Transfer Agent, M/s Alankit Assignments Limited, Unit : KRBL Limited at 1E/13, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055, Email: rta@alankit.com.

As per SEBI Circular dated April 20, 2018, shareholders whose ledger folios are not mapped with PAN and Bank account, are requested to compulsorily furnish the details to the Company or its Registrar & Share Transfer Agent (RTA) M/s Alankit Assignments Limited, 1E/13, Alankit Heights, Jhandewalan Extension, New Delhi -110055, Email: rta@alankit.com for registering the same with respective folio(s).

For KRBL Limited

Sd/-

Raman Sapra
 Company Secretary

Place: Delhi
 Date: June 15, 2018

Place: New Delhi
 Dated: 15th June, 2018

Place: New Delhi
 Dated: 15th June, 2018

**FORM A
 PUBLIC ANNOUNCEMENT**

[Under regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

**FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF
 MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LIMITED**

RELEVANT PARTICULARS

1	NAME OF CORPORATE DEBTOR	MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LIMITED
2	DATE OF INCORPORATION OF CORPORATE DEBTOR	19/01/1993
3	AUTHORITY UNDER WHICH CORPORATE DEBTOR IS INCORPORATED / REGISTERED	REGISTRAR OF COMPANIES JAIPUR
4	CORPORATE IDENTITY NUMBER OF CORPORATE DEBTOR	CIN: L15531RJ1993PLC007168
5	ADDRESS OF THE REGISTERED OFFICE AND PRINCIPAL OFFICE OF CORPORATE DEBTOR	REGISTERED OFFICE: 140 MILESTONE, NH 8, VILLAGE GUNTI, TEHSIL-BEHROOR, ALWAR 301701, RAJASTHAN COR OFFICE:
6	INSOLVENCY COMMENCEMENT DATE IN RESPECT OF CORPORATE DEBTOR	DATE OF ORDER : 12th June, 2018 DATE OF RECEIPT OF ORDER 14th June, 2018
7	ESTIMATED DATE OF CLOSURE OF INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS	9th December, 2018 (180 days from the date of Commencement of Insolvency Resolution Process)
8	NAME AND THE REGISTRATION NUMBER OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL	Name: PRATIBHA KHANDELWAL (Reg No. IBBI/IPA-002/11 N00031/2016-2017/10068)
9	ADDRESS AND EMAIL ID OF INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL AS REGISTERED WITH THE BOARD	F-2/14, LIC Flats, Sector-Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039, Rajasthan Email: cpratibhak@gmail.com
10	ADDRESS AND EMAIL ID TO BE USED FOR CORRESPONDENCE WITH THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, IF DIFFERENT FROM THOSE GIVEN AT SERIAL NO 9	F-2/14, LIC Flats, Sector-Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039, Rajasthan Email: ippratibhak@gmail.com
11	LAST DATE FOR SUBMISSION OF CLAIMS	28th June, 2018

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process against **MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LIMITED** on 12th June, 2018. The creditors of **MOUNT SHIVALIK INDUSTRIES LIMITED** are hereby called upon to submit a proof of their claims on or before 28th June, 2018 to the Interim Resolution Professional at the address mentioned against item 10. The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other creditors may submit the proof of claims in person, by post or electronic means.

The forms can be downloaded from 'Downloads' section on <http://ibbi.gov.in>. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature

Date: 15th June, 2018

Interim Resolution Professional

Place: JAIPUR, RAJASTHAN, INDIA

PRATIBHA KHANDELWAL

STATE BANK OF INDIA

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) [Under Rules 8(1)]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the State Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice calling upon the borrower as given below to repay the amount mentioned below

संजीव मरुखर्जी
नई दिल्ली, 15 जून

नीति आयोग की संचालन पांकी की चौथी बैठक रविवार को जा रही है। इस बैठक में प्रधान नरेंद्र मोदी की प्रिय योग्यता प्रमाणिकरण की प्रति संहित 30.06.2018 तक या उससे पहले होने वाले प्रस्तुत कर दें। आवेदन प्राप्त हमारी वेबसाइट www.lobnet.co.in/tenders पर अपलब्ध है।

महाप्रबंधक (निरीक्षण)



CIN: L01111DL1993PLC052845

पंजीय कार्यालय: 5190, लाहौरी गेट, दिल्ली - 110006
फोन: 011-23968328, फैक्स: 011-23968327
ईमेल: investor@krblindia.com; वेबसाइट: www.krblrice.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना

- विषय: (i) अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश के दावे के लिए रिमाइंडर और कंपनी के इनियटी शेयरों का आईईपीएफ को अंतरण (ii) अपनी हालिंग के अधीन पैन एवं वैक विवरण का नवीनीकरण अनिवार्य

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्राक्कान्ति के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संक्षेप निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखाप्रीकाश, अंतरण एवं वापरी) नियम, 2016 (आईईपीएफ) और उसके अधीन अनुवर्ती शंखेधन के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अदावाकृत हैं, उस नियम 3, 2018 की आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश अदावाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को अंतरित नहीं करती जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर भी भी न्यायालय/अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 के अधीन रेहन/वंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण डामारी वेबसाइट पर भी उत्प्रवाह है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरों के स्वायत्त के स्वायत्त के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेंगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, वाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनियेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर भौतिक प्रारूप में धारित हैं और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य हैं, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले डुनीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करती और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी डुनीकेट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्रारूप में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकालाप के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेंगी। मूल शेयर प्रमाणपत्र जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, वाद में स्वतः ही निरस्त हो जाएंगे और गैर-विनियेय माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकालाप के माध्यम से डिपोजिटरी को सूचित करेंगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदावाकृत लाभांश एवं शेयर एक आईईपीएफ प्राधिकरण का प्रतिरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट <http://www.lepf.gov.in> देखें) में नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के पास कोई दावा नहीं किया जा सकता।

कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से सितंबर 30, 2018 तक या उससे पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कंपनी ऐसे शेयरों/लाभांश का आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देगी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर भवित्व में उपर्याप्त सभी लाभ लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगे।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप investor@krblindia.com पर ई-मेल भेज सकते हैं या कंपनी के रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स अलकित एसाइमेंट्स लिमिटेड, यूनिट-केआरबीएल लिमिटेड, 1ई/13, अलकित हाइट्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, ई-मेल: ria@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

सेवा सर्किल दिनांक अप्रैल 20, 2018 के अनुसार, शेयरधारक जिनका लेजर फोलियो पैन एवं वैक खाते से लिंक नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे संबंधित फोलियों के पंजीकरण के लिए अपने विवरण अनिवार्य रूप से कंपनी के रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) मेसर्स अलकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 1ई/13, अलकित हाइट्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 ई-मेल: ria@alankit.com के पास जमा करें।

स्थान: दिल्ली
दिनांक: जून 15, 2018

कम से कम 1 सालावार न्यायिक लाभ-परीक्षा कोर्स में योग्यता प्राप्त हो जो कि मेट्रो केन्द्रों से इतर केन्द्रों में भारतीय संसदी लेखाकार संस्थान या भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान या विवेश में स्थित सम्बन्धित नियम/प्रबंधन संस्थान द्वारा आयोगित किया गया हो। मेट्रो केन्द्रों में लोकलेखाकारों की न्यायिक लेखा-परीक्षा कोसे में योग्यता की अपेक्षा याचित रहेगी।

अन्य सभी निवधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। भैं हुए आवेदन को न्यायिक योग्यता प्रमाणिको प्रति संहित 30.06.2018 तक या उससे पहले होने वाले प्रस्तुत कर दें। आवेदन प्राप्त हमारी वेबसाइट www.lobnet.co.in/tenders पर अपलब्ध है।

महाप्रबंधक (निरीक्षण)

ऋण वामूली अधिकरण-II, चैन्सेल

ओ.ए. नम्बर 2018 का 104

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, इसके प्रबंधक द्वारा प्रतिनिधित्व श्री सी.आर. पचन कुमार, आईडीबीआई, 115, अन्ना सलाह, सैद्धापेट, पोस्ट बोग नं. 805, चैन्सेल-600015

एवं अन्य वादी विवरण

मैसर्स साकेत इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय नं. 11/12, प्लॉट नं. 2, फैज 2, सेक्टर 2, नल्ल, न्यू मुम्बई 400706

एवं 5 अन्य प्रतिवादी

1. मैसर्स साकेत इंडिया लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय नं. 11/12, प्लॉट नं. 2, फैज 2, सेक्टर 2, नल्ल, न्यू मुम्बई 400706 एवं नं. 34/1, एन-एस इंडिया स्ट्रीट, सेश्वरपुरम, चैन्सेल-560020

घंगी भी, प्लॉट नं. 60, एस आईपीसीओटी इंडियन कॉम्प्लेक्स, हास्पुर, तमिलनाडू

2. श्री आर.एल. शर्मा, पुत्र स्व. श्री देवी नन्दा शर्मा, प्रबन्धन नियंत्रक, साकेत इंडिया लिमिटेड, नं. 69, साकेत, मेरठ, उत्तरप्रदेश

3. श्री ए.एल. शर्मा, पुत्र स्व. श्री देवी नन्दा शर्मा, चेयरमें, साकेत इंडिया लिमिटेड, नं. 69, साकेत, मेरठ, उत्तरप्रदेश

4. श्री प्रोमोद कौशिक, पुत्र स्व. श्री सी.एस. शर्मा, साकेत इंडिया लिमिटेड, नं. 69, साकेत, मेरठ, उत्तरप्रदेश

श्रीमान

उपरोक्त आवेदन संख्या 2018 का 104

हमारे प्रधानकार (आईडीबीआई एवं आईएफसीआई) द्वारा ऋणी की वसूली हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। उपरोक्त सामान्य ऋण वसूली अधिकरण-II, चैन्सेल के समक्ष दिनांक 25.04.2018 को सुनवाई हेतु आया था मानवीय न्यायालय या दिनांक 21.06.2018 तक वापसी योग्य आदेश निर्गमित किया गया है। सूचित रहे हैं उपरोक्त मानवीय न्यायालय एवं शर्तों के अनुसार ऋणी की वसूली हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

आवेदन संख्या 2018 का 104

हमारे प्रधानकार (आईडीबीआई एवं आईएफसीआई) द्वारा ऋणी की वसूली हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

उपरोक्त सामान्य ऋण वसूली अधिकरण-II, चैन्सेल के समक्ष दिनांक 25.04.2018 को सुनवाई हेतु आया था मानवीय न्यायालय या दिनांक 21.06.2018 को प्राप्त:

11.00 बजे सुनवाई हेतु आ रहा है तथा आप

व्यक्तिगत रूप से अथवा आपके अधिकारकों के जरूरी उपस्थिति हो सकते हैं। जिसमें चूक होने पर मामले की सुनवाई आपकी अनुपस्थिति में की जायेगी।

मैसर्स शिव कुमार एंड सेस, एडवाकेट्स

न्या. नं. 4, मुमाना नं. 48, त्रिपुरा गली, पूर्व अवैष्ट्रिमपुरम, मपलापुर,

चैन्सेल-600 004

वास्तवे आवदेक के अधिकारकों

भारत इस साल नवंबर से ई-

को कच्चे तेल के भुगतान के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भाषा

नई दिल्ली, 15 जून

भारत इस साल नवंबर से ई-कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

भारत इस साल नवंबर से ई-

कॉर्पोरेशन के नियंत्रित कार्यकारण के विवरों परीक्षकों के मार्गी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस बैठक में चर्चा होनी है।

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED

शाका कार्यालय: रिलाइंस होम फानेस लि. 200-261, एम. क्लॉस, कोम्पालैस, ईश्वर नगर, न्यू फ्रेस कालोनी बैंक, नई दिल्ली-110095

कारपोरेट एवं पौरीकृत कार्यालय: रिलाइंस सेटर, ईश्वर नगर, न्यू कालोनी, सालाकाज (स्टर), मैदान-400005

मार्ग
सूचना